राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर ।

:: नि र्ण य ::

रंगी लाल बनाम् राजस्थान राज्य वगैरा।

खण्डपीठ सिविल विशेष अपील (रिट) संख्या- 847/1999 अन्तर्गत धारा-18, राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1949 विरूद्व विद्वान एकलपीठ द्वारा एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या-4300/1997 में पारित आदेश दिनांक-28.9.1999.

<u>निर्णय दिनांक-</u> **दिसम्बर 12,2006**

<u>माननीय न्यायाधिपति श्री शिव कुमार शर्मा</u>
<u>माननीय न्यायाधिपति श्री चतरा राम जाट</u>

श्री एन.आर. सारण, अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी।

श्री एम.एल. गोयल, अति. राजकीय अधिवक्ता वास्ते राज्य।

न्यायालय द्वारा-

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्को को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का आद्योपांत अनुशीलन किया गया।

इस विशेष अपील में अपीलार्थी ने विद्वान एकलपीठ के आदेश दिनांक-28.9.1999 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी की रिट याचिका निरस्त की गई है।

विद्वान एकलपीठ ने आक्षेपित आदेश में यह अवधारित किया है कि प्रकरण में जो विवाद अन्तर्ग्रस्त है उसका निस्तारण माननीय उच्चतम न्यायालय ने **<u>फेडरेशन ऑफ माइनिंग एसोशियेशन ऑफ राजस्थान व अन्य बनाम् राजस्थान राज्य व अन्य</u>** 1992 Suppl. (2) SCC page 239) न्यायिक दृष्टान्त में कर दिया है, ऐसी स्थिति में यदि अपीलार्थी कर अधिकरण के किसी आदेश से व्यथित है तो वह उच्चतम न्यायालय में एस.एल.पी. प्रस्तुत कर सकता है। हमें विद्वान एकलपीठ के आक्षेपित आदेश में कोई अवैधानिकता प्रतीत नहीं होती। इस अपील में कोई बल नहीं है। अत: निरस्त की जाती है।

(न्या. चतरा राम जाट) **(न्या. शिव कुमार शर्मा)**